



ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

(A Statutory Body of The Government of India)

Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110067

Ph.No.011-26131576-78, 80 Website : www.aicte-india.org

PRIME MINISTER'S SPECIAL SCHOLARSHIP SCHEME EXTENSION OF LAST DATE

Registration for PMSSS started on 16th April, 2017. **The last date for Registration for PMSSS and Verification of documents by Facilitation Centre have been extended till 8th June & 10th June, 2017 respectively. There is no further extension beyond these dates.**

Admission will be done through counseling only in the listed Colleges. Scholarship will be provided to the students who will be admitted by AICTE in listed Colleges. All are, therefore, requested to be away from agents. Please report such matter immediately to the Secretary, Higher Education, Govt. of J&K or IG (Crime Branch), J&K Police.

Advt.No. : J&K/05(08)/2017 Member-Secretary, AICTE

Note: Selection of students for the scholarship will be strictly based on eligibility criteria and as per the approved procedure for academic year 2017-18. Students who have been granted scholarship under the Scheme in previous years are not eligible to apply during academic year 2017-18

Size 10X14 cm



अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

(भारत सरकार का सांविधिक निकाय)

नेल्सन मंडेला मार्ग, वसन्त कुंज, नई दिल्ली-110067

फोन : 011-26131576-78, 80 वेबसाइट—www.aicte-india.org

प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना की अंतिम तिथि का बढ़ाया जाना

प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के लिए दिनांक 16 अप्रैल, 2017 से पंजीकरण आरंभ हुआ था। सुविधा केन्द्रों पर पी.एम.एस. एस.एस के लिए पंजीकरण तथा दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि को क्रमशः 08 जून, 2017 तथा 10 जून, 2017 तक बढ़ा दिया गया है इन तिथियों के पश्चात अब इसे आगे दोबारा नहीं बढ़ाया जाएगा।

सूचीबद्ध कालेजों में प्रवेश केवल काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। उन्हीं विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी जिन्हें सूचीबद्ध कालेजों में अभातशिप द्वारा प्रवेश दिया गया हो। इसलिए सभी से अनुरोध किया जाता है कि एंजेंटों से दूर रहें। एंजेंटों द्वारा दिए जा रहे झारसं वाले मामलों की सूचना तत्काल सचिव, उच्चशिक्षा, जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार अथवा महानिरीक्षक (अपराध शाखा), जम्मू एवं कश्मीर पुलिस को दें

विज्ञापन सं.: जम्मू एवं कश्मीर/05(08)/2017 सदस्य सचिव, अभातशिप
नोट :-छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों का चयन सख्ती से पात्रता मानदंडों पर आधारित तथा शैक्षणिक वर्ष 2017-2018 के लिए अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार होगा। जिन विद्यार्थियों को इस योजना के तहत पिछले सालों से छात्रवृत्ति मिल रही है वे शैक्षणिक वर्ष 2017-2018 के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

Size 10X14 cm